कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-२, जहानाबाद।

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

स्वीकृत योजनाओं के निमार्ण हेतु पथों के सुदृढ़ीकरण /उन्नयन हेतु ग्रामीण कार्य विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन) में उचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों से २ मुहरबंद लिफाफों में जो एक बडे लिफाफे में मुहरबंद रहेगा जो अंतत लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ-२ पर अंकित किया जायेगा, निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रथम लिफाफा (तकनीकी बीड) में जिसके उपर लिफाफा सं०-१ हो क्रमशः (१) ग्रामीण कार्य विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन) के समुचित श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति (२) अद्यतन लेबर लाईसेन्स की सत्यापित छायाप्रति (३) वाणिज्य कर/वैट निबंधन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति (४) अद्यतन वाणिज्य कर/वैट स्वच्छता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति (५) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति (६) पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति (७) अभियंत्रण इकाई में कार्यरत कर्मियों की सूची एवं नियोजन के संबंध में नियोजनकर्ता एवं नियोजन अभियंता का भापथ प्रमाण पत्र (८) यंत्र-सयंत्र एवं गुणवता उपकरणों की स्वामित्व प्रमाण पत्र (९) समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित विभाग द्वारा विधिवत निर्गत हो एवं गत पाँच वर्श के किसी एक वर्श में समतुल्य राशि का एक मुश्त भुगतान हो (१०) विगत पॉच वर्शो का वार्शीक टर्न ओभर (११) साझेदारी फर्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एलोसियेशन की सत्यापित प्रति (१२) निविदाकार के अधीन लम्बित कार्यों की राशि सहित सूचि मूल में (१३) अग्रधन की राशि जो राश्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवॉ निर्मम)/किसान विकास पत्र / सावधि १,२,३, वर्शीय जमा पासबुक के रूप में हो तथा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद के पदनाम से प्रतिज्ञापित (Dulypledged) हो तथा मूल में (U.R.) समर्पित किया जायेगा। यदि इनमें से काई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके तकनीकी बीड को आमान्य कर दिया जायेगा। दूसरे लिफाफा (वित्तीय बीड) में जिसके उपर लिफाफा सं०-२ हो, कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं भाब्दों में) अंकित किया जायेगा। दोनों लिफाफों को एक बडे लिफाफे में डालकर निविदा जमा किया जाएगा। बड़े लिफाफे को खोलने के बाद सबसे पहले लिफाफा सं०-१ खोला जायेगा तथा अभिलेखों के जॉचोपरान्त मुख्य अभियंता के अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति/ अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति (अ०अ० को निविदा निश्पादन की प्रदत्त भाक्ति के अन्दर होने पर) अंक तालिका के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदाकर्ताओं को वित्तीय बीड बाद में खोला जायेगा, जिसकी तिथि सूचना समयानुसार दी जायेगी, तकनीकी बीड में जो निविदादाता असफल होगें उनका वित्तीय बीड (लिफाफा सं०-२) बिना खोले उन्हे, वापस कर दिया जायेगा।

१. निविदादाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-२, जहानाबाद।

२. परिमाण विपत्र निर्गत करने की तिथि एवं समय :- दिनांक ०६.०८.१० को १:०० बजे अपराह्न तक।

३. निविदा जमा करने की तिथि एवं समय :- दिनांक ०७.०८.१० को ३:०० बजे अपराह्न तक।

४. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक ०७.०८.१० को ३:०० बजे अपराह्न बाद।

५. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :- (१) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-२, जहानाबाद / समाहर्त्ता जिला नियंत्रण कक्ष कोशांग।
(२) अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल-२, गया के कार्यालय में।
(३) मुख्य अभियंता-१, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में।

६. निविदा प्राप्ति का स्थान :- उपरोक्त कॉलम ५ के अनुसार

७. कार्य सूची :-

क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रू० में)	परिमाण विपत्र का मुल्य (रू० में)	कार्य समाप्ति की अवधि
१	२	३	४	५	६
<u>पी.डब्ल्यू.डी. पथ से</u>					
१.	पी. डब्ल्यू.डी पथ से मेटरा पथ मरम्मति कार्य।	50,08,366	2,50,418	10,000.00	मार्च २०११

विशेश जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय एवं बेवसाईट www.prdbihar.org पर देखें।

८. अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होना चाहिए जिस जिले का पता निबंधन में अंकित है अथवा जहॉं व्यवसाय चल रहा है। व्यवसाय वाले जिले में उनके द्वारा कराये गये कार्यों, प्रगति ील कार्यों एवं कार्यालय का पता से संबंधित साक्ष्य देना है। पार्टनरशीप एवं कंपनी के मामले में क्रमशः प्राईम पार्टनर एवं प्रबंध निदेशक का आचरण प्रमाण पत्र आव यक है।

९. उपरोक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (नहीं लौटाने योग्य) केवल भारतीय स्टेट बैंक का ड्राफट के रूप में जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, जहानाबाद में भुगतेय हो, दिया जाना होगा। किसी भी परिस्थति में नगद राशि की प्राप्ति कर परिमाण विपत्र की बिक्री नहीं की जायेगी।

१०.कार्य को विशिश्टि के अनुरूप करने हेतु सभी आवश्यक मशीनों एवं यंत्र-संयत्रों गुण नियंत्रण उपकरणों के स्वामित्व प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा तकनीकी बीड के साथ संलग्न करना होता। यदि कार्य को विशिश्ट के अनुरूप सम्पन्न करने हेतु यंत्र-संयंत्रों, गुण नियंत्रण, प्रयोगशाला इत्यादि एवं इन्हें स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि (हॉट मिक्स प्लांट, गुण नियंत्रण, प्रयोगशाला आदि के लिए) की उपलब्धता ससमय सुनि चत नहीं की जाती है, और इसके चलते कार्य समय पर पूर्ण नहीं होता है तो संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।

११.पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर पूर्व में ब्लैक लिस्टेट है तो वह फर्म निविदा का पात्र नहीं होगा। यदि किसी फर्म का काई पार्टनर रनींग संवेदक है तथा उनका अलग निबंधन है तो उनके नाम से निर्गत किसी भी मशीन का स्वामित्व अनुभव इत्यादि की मान्यता फर्म के लिए नहीं दी जायेगी।

१२.प्राक्कलित राशि में कभी या वृद्धि हो सकती है। अतः अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार अग्रधन की राशि देय होगी।

१३.संवेदक द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति को ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा।

१४.निविदादाताओं को आंवटित कार्य से संबंधित सभी सामग्री के क्रय का प्रमाणक जिसमें उनकी विशिश्टि का स्पश्ट वर्णन हो, समर्पित करना होगा, जिसके अभाव में भुगतान रोक दिया जा सकता है।

१५.निविदादाताओं द्वारा निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्य स्थल प्राक्कलन एवं क्वैरी (फनंततल) इत्यादि की स्थिति एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से पूर्ण रूप से संतुश्ट होने के पश्चात ही निविदा जमा करने का पराम र्ा दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

१६. आंवटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। इस मद में कोई दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नहीं होगा।

१७. संवेदक के द्वारा विविध कार्यों के लिए एकरारनामा लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ २ पर किया जाता है तथा पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं० ए०-२१ नियम-०८/६२-६११३ (ए) दिनांक १८.११.६२ से एकरारनामा प्रपत्र एफ-२ की कंडिका सं०- २३ को विलोपित माना जायेगा।

१८.विभाग के सक्षम पदाधिकारी को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी / किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्हीं अंश / अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

१६.कार्यों में प्रयुक्त होने वाले ८०/१०० या ६०/७० ग्रेड पैक्ड बिटुमेन जो लागु हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदकों द्वारा स्वयं अपनी लागत पर की जायेगी, जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमेन का क्रय केवल राश्ट्रीयकृत तेल कंपनियों से ही करना होगा तथा बिटुमेन क्रय के ४८ धंटे के अंदर कैश मेमो संबंधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा।

२०. निविदा में सफल संवेदक को एकारनामा करने के उपरान्त साप्तहिक एवं मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा एवं कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात अविलंब कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित सूचना पट्ट उसके आकार प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त कार्य प्रारम्भ के पूर्व कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त अर्थात कार्य की तीनों स्थितियों से संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी / विडियोग्राफी करानी होगी जो उन फोटोग्राफ / सी०डी० की जॉचोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई हेतु उन्हें संबंधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

२१.एकाधिक निविदाकारों से उद्धत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये एक निविदाकार के साथ ही दर प्रक्रमण किया जायेगा एवं उसी निविदाकार को नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

२२. निविदाकार पथ निर्माण विभाग के अधीन उपलब्ध हॉट मिक्स प्लांट एवं इक्वीपमेंट बैंक के विरूद्ध भी निविदा दे सकते हैं, जिसके लिए तकनीकी बीड के साथ अपनी सहमति एवं इक्वीपमेंट बैंक के प्रबंधक की सहमति संलग्न करनी होगी।

२३. तकनीकी बीड के मूल्यांकन में उसी यंत्र-संयंत्र के विरूद्ध अंक दिया जायेगा जो ग्रामीण कार्य विभाग या पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारी से निविदा तिथि के छः माह पूर्व की अवधि में

भौतिक रूप से सत्यापित होंगें। ऐसी स्थिति नहीं होनें पर यंत्र सयंत्र (गुण नियंत्रण प्रयोगशाला उपकरणों के साथ) का सत्यापन निविदा प्राप्ति के एक सप्ताह के अंतर्गत कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को सूचना देकर करना होगा। सूचना देने के बाद भी जो संवेदक भौतिक में सहयोग नहीं करेगें उनकी मशीनों के विरूद्ध कोई अंक नहीं दिया जायेगा और यह माना जायेगा की मशीन उनके पास उपलब्ध नहीं है।

२४. जिस संवेदक के आचरण प्रमाण पत्र में वैद्य अंकित है, उस अवधि के बाद निविदा के साथ आचरण प्रमाण पत्र समर्पित करने पर आचरण प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी। जिस संवेदक की वैद्य अवधि उल्लेखित नहीं है उसकी मान्यता आचरण प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से छः माह मानी जायेगी।

२५. जिस निविदा में मूल निर्माण कार्य के साथ-साथ ५ वर्शों के लिए संधारण मद का कार्य भी करने का प्रावधान होगा ऐसे मामले में जमानत की राशि संतोशजनक कार्य पूरा होने की स्थिति में मूल कार्य की समाप्ति के ५ वर्शों के बाद ही वापस की जायेगी।

२६. राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूचि में डाले गये संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होगें।

२७. सशर्त्त निविदा मान्य नहीं होगा।

२८. कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित विभागीय दर से १५(पंद्रह) प्रतिशत से कम दर की निविदा अमान्य होगी।

२९. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है।

३०. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये रद्द कर दें, जिसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।

३१.यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विषेश भार्त्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

३२. निविदाकार द्वारा समर्पित किये जोने वाले सभी प्रमाण पत्र एवं कागजात उनके द्वारा स्वहस्ताक्षरित होना आवश्यक है, अन्यथा जिस कागजात पर उनका स्वहस्ताक्षर नहीं होगा उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-२, जहानाबाद।

समाचार पत्र में प्रकाशित :– (दिनांक :– 29-07-2010)

1. **Aaj, Patna**
2. **Prabhat Khabar, Patna**
3. **Inklawe Jadeed, Patna**